छलावा • पेचीदा नियम आड़े आए, विदिशा, मुरैना, शिवपुरी, सारणी में भी नहीं चलेगी सिटी बस

~~सिटी बस~~, मैजिक चलेगी

प्रशासन को पांच साल बाद पता चला कि शहर की आबादी कम और सड़कें भी संकरी

भास्कर पड़ताल

- अमृत योजना के सिटी ट्रांसपोर्ट पर नगर निगम ने भेजी क्लोजर रिपोर्ट
- दो करोड़ रुपए भी बर्बाद

शिवेंद्र दुबे | रतलाम

रतलाम, शिवपुरी, विदिशा, मुरैना व सारणी (बैतूल) सहित प्रदेश के पांच शहरों में सिटी बस नहीं चलेगी। पांच साल के साथ दो करोड़ बर्बाद हुए। रतलाम सहित सभी निकायों ने क्लोजर रिपोर्ट भेज दी है। अमृत मिशन में 2016 में प्रदेश के 20 शहरों को शामिल किया गया था। इंटर और इंट्रा सिटी रूट सहित चार क्लस्टर बने, 30 स्टॉपेज भी चयनित किए गए। रतलाम बस सर्विसेस लिमिटेड रजिस्टर्ड कराकर टेंडर भी निकाला। पेचीदा प्रक्रिया, बड़े शहरों की तर्ज पर बनाए नियम, शर्तें व अफसरों की बेरुखी से प्रोजेक्ट फेल हो गया।

इन चार क्लस्टर में चलना थी सिटी बस

इंटरसिटी रूट रतलाम से	इंट्रा सिटी रूट	बस
1. खाचरौद व झाबुआ	स्टेशन से खेतलपुर	10
2. रावटी व नीमच	स्टेशन रोड से पुराना बाजना बस स्टैंड	9
3. बाजना व उज्जैन	महू रोड बस स्टैंड से बाजना बस स्टैंड	9
4. खरगोन व आलीराजपुर	डोसीगांव से मेडिकल कॉलेज	9

इन कारणों से नहीं चल पाई हमारे शहर में सिटी बस

रूट - महज तीन से चार किमी लंबे सिटी रूट पर ऑपरेटरों को फायदा नहीं दिखा। बाद में इंटर सिटी रूट जोड़े पर एक या दो शहरों के लिए।

सड़कें - दो बत्ती और पटरी पार के इलाकों को छोड़ दें तो पुराने शहर की सड़कें संकरी थी।

नियम व शर्तें - प्रोजेक्ट के नियम और शर्तें 5 से 10 लाख की आबादी वाले बड़े शहरों की तर्ज पर बनाए गए, जिसे बस ऑपरेटर रतलाम के उपयुक्त नहीं मान रहे। इस कारण बड़े ऑपरेटरों दूर ही रहे।

सरकारी प्रक्रिया - शहर की भौगोलिक स्थिति के अनुसार स्थानीय अफसरों ने बदलाव के सुझाव दिए। स्थानीय पर संशोधनों को तवज्जो नहीं दी। राजधानी के अफसरों ने ध्यान नहीं दिया।

खींचतान - 2018 में स्थानीय कंपनी अर्जुन शांति रोड लिंक ने दो क्लस्टर का टेंडर लिया था। वह भी 40 की जगह 25 प्रतिशत अनुदान का ऑफर देकर। तत्कालीन कलेक्टर के कहने पर दो बसें खरीद भी ली थी, लेकिन जिम्मेदार परमिट तक नहीं करा पाए। नतीजा टेंडर निरस्त हो गया।

अब बस टर्मिनल की जगह बनेगा वर्कशॉप

सिटी ट्रांसपोर्ट की बसें खड़ी करने व मेंटेनेंस के लिए पलसोड़ी फंटे तिराहा पर टर्मिनल बनाया जाना था। स्टॉपेज बनाने के लिए साल भर पहले निगम को 64.89 लाख मिल गए थे। इसमें 42 लाख खर्च कर निगम ने टर्मिनल की जगह बाउंड्रीवॉल बना सुरक्षित किया है। प्रोजेक्ट फेल होने पर निगम वर्कशॉप बनाएगा। अभी वर्कशॉप निगम कार्यालय में ही है।

जानिए, 20 शहरों के हाल

- **यहां चल रहे प्रोजेक्ट** - बुरहानपुर, भिंड, गुना, छिंदवाड़ा, कटनी, सिंगरौली, सतना, रीवा, ग्वालियर, खंडवा, देवास
- **यहां बंद** - रतलाम, शिवपुरी, विदिशा, मुरैना, सारणी (बैतूल)
- **यहां विकसित कर रहे** - जबलपुर, उज्जैन, इंदौर, भोपाल

क्लोजर रिपोर्ट भेजी

सिटी बस प्रोजेक्ट को लेकर क्लोजर रिपोर्ट भेज दी गई है। पलसोड़ी में सिटी बस टर्मिनल के लिए जो जगह चयनित की गई थी। वहां अब नगर निगम का वर्कशॉप शिफ्ट करेंगे। बाउंड्रीवॉल बन चुकी है।

सोमनाथ झारिया, आयुक्त

ढाई साल पहले कलेक्टर के कहने पर दो बस खरीद ली थी, लेकिन परमिट ही इश्यू नहीं करा पाए। 2.40 लाख सिक्यूरिटी डिपाजिट भी नहीं मिला है। हाईकोर्ट में केस लगाया है। योजना में बदलाव के लिए दिए सुझाव नहीं माने।

प्रदीप छिपानी, डायरेक्टर-अर्जुन शांति रोड लिंक

व्यवहारिक रूप से सिटी बस चलाना ठीक नहीं था पर अफसर नहीं माने।

राजकुमार जैन लाला, संरक्षक-मैजिक टेंपो यूनियन

दैनिक भास्कर 01/07/2021

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 6 हफ्ते में गाइड लाइन व राशि तय करे**

कोरोना से मौत पर देना होगा मुआवजा

नई दिल्ली ● 30 जून (ए)

कोरोना महामारी के दौर में सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने बुधवार को कहा कि कोरोना से मौत होने पर परिजन मुआवजे के हकदार हैं। सरकार उन्हें मुआवजा दे। मुआवजे की रकम कितनी होगी, ये सरकार तय करे। कोर्ट ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (एनडीएमए) पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि वह मुआवजा दिए जाने की गाइड लाइन तय करे।

न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एमआर शाह की खंडपीठ ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम (एनडीएमए) की धारा 12 के प्रावधानों के तहत प्राधिकरण राष्ट्रीय आपदा के पीड़ितों को न्यूनतम राहत प्रदान करने के लिए संवैधानिक तौर पर बाध्य है। न्यायालय ने कहा कि अधिनियम की धारा 12 (तीन) के तहत इस न्यूनतम राहत में मुआवजा भी शामिल है। न्यायालय ने गौरव बंसल और रीपक कंसल की याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार की उस दलील को खारिज कर दिया कि धारा 12 अनिवार्य प्रावधान नहीं है। न्यायालय ने धारा 12 की व्याख्या करते हुए कहा कि धारा 12 के प्रावधान अनिवार्य हैं। हालांकि न्यायालय ने सरकार को मुआवजे के तौर पर कोई राशि निर्धारित करने से इन्कार कर दिया।

अन्य निर्देश

- ☐ कोरोना से मौत होने पर डेथ सर्टिफिकेट जारी करने की व्यवस्था सरल हो। अधिकारी इसके लिए गाइड लाइन जारी करें।
- ☐ जैसा कि फाइनेंस कमीशन ने प्रस्ताव दिया था, उसके आधार पर केंद्र उस व्यक्ति के परिवार के लिए इंश्योरेंस स्कीम बनाए, जिसकी जान आपदा में चली गई।
- ☐ एनडीएमए राहत के न्यूनतम मानकों को ध्यान में रखते हुए कोविड मृतकों के परिवारों के लिए गाइड लाइन 6 हफ्तों के भीतर जारी करे।

फैसले के दौरान कोर्ट की अहम टिप्पणियां

◆ ***एनडीएमए पर :*** *आपका कर्तव्य है कि आप राहत के न्यूनतम पैमाने बताएं। ऐसा कुछ भी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है जिससे पता चले कि कोविड पीड़ितों के लिए आपने ऐसी राहत या मुआवजे की कोई गाइड लाइन जारी की हो। आप अपना वैधानिक कर्तव्य निभाने में विफल रहे हैं।*

◆ ***केंद्र पर :*** *किसी भी देश के पास अपार संसाधन नहीं होते। मुआवजे जैसी चीज हालात और तथ्यों पर आधारित होती है। ऐसे में ये सही नहीं है कि हम केंद्र को निर्देश दें कि मुआवजे के लिए इतनी रकम तय कर दी जाए। ये रकम केंद्र को ही तय करनी होगी। आखिरकार प्राथमिकताएं केंद्र ही तय करता है।*

की थी 4 लाख मुआवजे की अपील

जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एमआर शाह की बेंच ने गौरव बंसल बनाम केंद्र सरकार और रीपक कंसल बनाम केंद्र सरकार केस में ये फैसला सुनाया है। याचिकाकर्ता ने कहा था कि कोरोना संक्रमण और संक्रमण के बाद तबीयत खराब होने से जान गंवाने वाले परिवारों को 4 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए।

स्वदेश

स्वदेश 01/07/2021

आज शहर के लगभग हरेक वार्ड में वैक्सीनेशन

रतलाम। आज रतलाम शहर के लगभग सभी वार्डों में वैक्सीनेशन की व्यवस्था की गई है। वैक्सीनेशन करवाने वाले अपने क्षेत्र में ही उपस्थित रहें ताकि अनावश्यक भीड़ न हों।

- **37 हजार लोगों का कोविड वैक्सीनेशन किया जाएगा**
- **35 वैक्सीनेशन केन्द्र बनाए**

एसडीएम रतलाम शहर अभिषेक गहलोत ने बताया कि वैक्सीनेशन करवाने के लिए आन लाइन बुकिंग आवश्यक नहीं है, बगैर बुकिंग के भी टीका लगेगा, परन्तु जिन लोगों ने 1 जुलाई के वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट बुकिंग करवाई है, वे वैक्सीनेशन सेंटर पर अनिवार्यत: प्रात: 10 बजे पहुंचे। स्लॉट बुकिंग में उन्हें वैक्सीनेशन के लिए चाहे जो समय दिया गया हो लेकिन उन्हें सेंटर पर प्रात: 10 बजे अनिवार्यत: पहुंचना है अन्यथा उनकी स्लॉट बुकिंग कैंसिल मानी जाएगी। उन्होंने बताया कि जिस मोबाइल नंबर द्वारा वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन किया जाना है वह मोबाइल भी अपने साथ लेकर आए ताकि ओटीपी की जानकारी ली जा सके।

उन्होंने यह भी बताया कि 60 वर्ष से अधिक के व्यक्ति एवं दिव्यांग के लिए ओल्ड कलेक्ट्रेट में पहले डोज की व्यवस्था विशेष रूप से की गई है। जिन व्यक्तियों को पहला डोज लगवाना है और जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है अथवा दिव्यांग हैं वे पुराने कलेक्ट्रेट में पहुंचकर वैक्सीनेशन करवा सकते हैं।

कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने बताया कि रतलाम शहर में रामकला सभागृह लक्ष्मणपुरा, मार्निंग स्टार स्कूल इन्द्रा नगर, गुरु रामदास पब्लिक स्कूल विनोबा नगर, संत नामदेव पब्लिक स्कूल विनोबा नगर, बोधि इंटरनेशनल स्कूल डोंगरे नगर, श्री साईं अकादमी अस्सी फीट रोड, सिद्धेश्वर वाटिका सिखवाल नगर, आईएमए हॉल राजेन्द्र नगर, उत्कृष्ट विद्यालय सागोद रोड, शांति निकेतन टाटा नगर, सरस्वती स्कूल अमृत सागर, मानस भवन मोती नगर, ज्योति कान्वेंट स्कूल बालाजी नगर, सब्जी फरोश जमातखाना, सगरवंशी माली समाज धर्मशाला मालीकुआं, जमातखाना शेरानीपुरा, मांगलिक भवन दिलीप नगर, कम्युनिटी हॉल मिड्टाउन प्रताप नगर, काजीखाना मस्जिद जावरा रोड, लायंस हॉल पावर हाउस रोड, रंगोली मैरिज हॉल गीता मंदिर रोड, कालिका माता सभागृह कालिका मंदिर, माहेश्वरी भवन कसेरा बाजार, महाकाल धर्मशाला खान बावडी, मदरसा तालिमुन कुरान हाट रोड, सूरज हॉल वेद व्यास कॉलोनी, रेल्वे हास्पिटल घटला कॉलोनी, इप्का डेयरी फार्म मऊ-नीमच रोड पर कोविशील्ड का टीकाकरण किया जाएगा। नया कलेक्टोरेट मऊ-नीमच रोड केंद्र केवल शासकीय कर्मचारियों के लिए आरक्षित केन्द्र रहेगा। आफिसर्स क्लब डीआरएम आफिस दो बत्ती रोड, कम्युनिटी हॉल अल्कापुरी, जैन काश्यप सभागृह सागोद रोड एवं लोकेन्द्र टॉकीज के केन्द्र पर कोविशील्ड का केवल दूसरा वैक्सीन लगाया जाएगा जिन लोगों को कोविशील्ड का पहला टीका लगवाकर 84 दिन पूर्ण हो चुके हैं वे सभी सीधे उपस्थित होकर अपने जन्म दिनांक वाले आईडी के आधार पर सीधे वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। पुराना कलेक्टोरेट वैक्सीनेशन केन्द्र केवल सीनियर सीटीजन एवं दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित केन्द्र रहेगा। रतलाम शहर का जिला न्यायालय परिसर में विशेष आरक्षित केन्द्र के रूप में वैक्सीनेशन केंद्र रहेगा। शेष केंद्र विकासखंड एवं ग्रामीण स्तर पर रहेंगे।

कोरोना को हराने के लिए आज फिर होगा टीकाकरण

135 केंद्रों पर आज लगेंगे 37000 टीके

पत्रिका डेटा डिकोडेड

रतलाम. जिले में कोरोना संक्रमण रोकथाम के लिए गुरुवार को एक बार फिर से टीकाकरण का महा अभियान छिड़ेगा। जिले के 135 टीकाकरण केंद्रों पर 37000 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। टीकाकरण के महा अभियान के तहत अब तक डेढ़ लाख लोगों में से 89 हजार से अधिक लोगों को टीके लग चुके हैं। अब जुलाई के पहले दिन 37000 लोगों को टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है।

दरअसल महा अभियान के पहले दिन 152 केंद्रों पर टीकाकरण हुआ था उसके बाद अब जाकर 135 केंद्रों पर टीकाकरण होने जा रहा है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा 1 जुलाई को आयोजित होने वाले कोविड- वैक्सीनेशन के संबंध में बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। वैक्सीनेशन प्लान तैयार करने को निर्देशित करते हुए कलेक्टर ने कहा कि दिए गए लक्ष्य की पूर्ति की जाए वैक्सीन वेस्ट नहीं हो 1 जुलाई को जिले में 37,000 लोगों को वैक्सीनेशन किए जाने का लक्ष्य है।

पुराने कलेक्ट्रेट में लगेगा पहला टीका

जुलाई के पहले दिन 1 तारीख को शहर के लगभग सभी वार्डों में वैक्सीनेशन की व्यवस्था की गई है। एसडीएम रतलाम शहर अभिषेक गहलोत ने बताया कि वैक्सीनेशन करवाने के लिए आन लाइन बुकिंग आवश्यक नहीं है, बगैर बुकिंग के भी टीका लगेगा, परंतु जिन लोगों ने 1 जुलाई के वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट बुकिंग करवाई है, वे वैक्सीनेशन सेंटर पर अनिवार्यत: सुबह 10 बजे पहुंचे। स्लॉट बुकिंग में जो समय दिया गया हो लेकिन उन्हें सेंटर पर सुबह 10 बजे अनिवार्यत: पहुंचना है अन्यथा उनकी स्लॉट बुकिंग निरस्त मानी जाएगी।

सुप्रीम फैसला : केंद्र की अर्जी खारिज, कोरोना मृतकों के परिजनों को राहत की आस

'मुआवजा तो देना ही होगा, कितना दिया जाएगा, यह सरकार तय करे'

06 सप्ताह में गाइडलाइन तैयार करने के आदेश

पत्रिका ब्यूरो
patrika.com

नई दिल्ली. कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों को मुआवजा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा, परिजनों को मुआवजा मिले लेकिन राशि का निर्धारण केंद्र ही करे। अनुग्रह राशि के लिए 6 सप्ताह में निर्देश बनाए। जनहित अर्जियों में केंद्र और राज्यों को कोरोना से जान गंवाने वालों के परिवारों को 4-4 लाख मुआवजा व मृत्यु प्रमाण पत्र देने के लिए समान नीति बनाने का अनुरोध किया गया था। शेष @ पेज 03

पत्रिका TV पत्रिका टीवी ने उठाया था मुद्दा

इसके लिए सबसे पहले पत्रिका ने अभियान चलाया था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे अभियान की सफलता है।

4 लाख के मुआवजे पर नहीं दिया आदेश

कोविड से हुई मौत पर चार लाख रुपए का मुआवजा देने के आदेश से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह हमारे लिए उचित नहीं है कि सरकार को निश्चित राशि का मुआवजा देने के आदेश दें। इस मुआवजा राशि के भुगतान से सरकार को आर्थिक दिक्कत हो सकती है।

'एनडीएमए कर्त्तव्य के निर्वहन में विफल रहा'

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कोविड पीड़ितों को अनुग्रह राशि समेत राहत के न्यूनतम मानक प्रदान करना राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के लिए वैधानिक रूप से अनिवार्य है। अनुग्रह राशि प्रदान न कर प्राधिकरण अपने वैधानिक कर्त्तव्य के निर्वहन में विफल रहा है। प्राधिकरण ही तय करेगा कि कितनी राशि दी जाए।

4-4 लाख हो तो 1.6 खरब देने होंगे

यदि राष्ट्रीय आपदा कानून के तहत तय मुआवजा दिया जाए तो सरकार को प्रत्येक मृतक के परिवार को चार-चार लाख रुपए एकमुश्त सहायता देनी होगा। आधिकारिक आंकड़ों में अब तक देश में करीब 4 लाख लोगों की जान जा चुकी है। अगर सबको 4-4 लाख मुआवजा दिया जाए कुल रकम करीब 1.6 खरब रुपए होगी।

राहत के न्यूनतम मानकों का हिस्सा

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोविड के मृतकों के परिवार को सहायता देना आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 12 के तहत निर्धारित 'राहत के न्यूनतम मानकों' का हिस्सा है। आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत महामारी को आपदा घोषित किया गया है।

केंद्र ने कहा था- नहीं दे सकते मुआवजा

केंद्र ने मुआवजे के अनुरोध वाली याचिकाओं का विरोध किया था। उसने सुप्रीम कोर्ट बताया था कि राजकोषीय सामर्थ्य की बात नहीं लेकिन देश के संसाधनों के तर्कसंगत व विवेकपूर्ण उपयोग के मद्देनजर कोविड से जान गंवाने वालों के परिवारों को चार लाख रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान नहीं की जा सकती।

पत्रिका 01/07/2021

ज्ञापन देने 5 से ज्यादा लोग नहीं जा सकेंगे

रतलाम | जिले में धारा 144 लागू होने के बावजूद रोजाना कई संस्था, संगठन वाले भीड़ लेकर ज्ञापन देने पहुंच रहे हैं। इससे कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन हो रहा है। इसे रोकने के लिए कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने सख्त कदम उठाया है। कलेक्टर कुमार ने बताया ज्ञापन देने 5 से अधिक व्यक्ति नहीं आए। अब ऐसा होने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिर वह सरकार हो या गैर सरकारी व्यक्ति। सभी पर समान रूप से कार्रवाई होगी।

दै. भास्कर 1/7/21

ज्ञापन देने 5 से अधिक आए तो होगी कार्रवाई

रतलाम. जिले में वर्तमान में धारा 144 लागू है। इस परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने कहा है कि ज्ञापन देने के लिए 5 से अधिक व्यक्ति नहीं आए, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी, चाहे वे शासकीय कर्मचारी हो अथवा अशासकीय व्यक्ति।

पत्रिका 1/7/21

ज्ञापन देने पांच से अधिक लोग आए तो होगी कार्रवाई

रतलाम। जिले में धारा 144 लागू होने के बावजूद शासकीय-अशासकीय संगठनों, व्यक्तियों द्वारा बड़ी संख्या में कलेक्टोरेट, तहसील आदि कार्यालयों में ज्ञापन दिए जा रहे हैं। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने इस संबंध में आदेश जारी किया है कि ज्ञापन देने के लिए पांच से अधिक लोग आते हैं तो कार्रवाई की जाएगी। फिर संबंधित अशासकीय व्यक्ति हो या शासकीय। मालूम हो कि गत दिवस जिला पटवारी संघ, आशा कार्यकर्ताओं, हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने अलग-अलग विषयों पर ज्ञापन सौंपा था।

नईदुनिया 1/7/21

ज्ञापन देने में 5 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित होने पर कार्रवाई

रतलाम। जिले में वर्तमान में धारा 144 लागू है। इस परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने कहा है कि ज्ञापन देने के लिए 5 से अधिक व्यक्ति नहीं आए अन्यथा कार्रवाई की जाएगी, चाहे वे शासकीय कर्मचारी हो अथवा अशासकीय व्यक्ति।

[illegible] 1/7/21

एक नया पाजिटिव मिला और 20 डिस्चार्ज

रतलाम। अप्रैल-मई में कोरोना की खतरनाक लहर के बाद जून माह काफी राहत भरा रहा है। जिले में बुधवार को एक नया पाजिटिव केस सामने आया। 20 मरीजों को स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज किया गया। अब एक्टिव मरीजों की संख्या 42 है। जिले में अब तक 17482 पाजिटिव केस सामने आ चुके है, वहीं 17129 मरीजों को स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज किया जा चुका है। मौत का कुल आंकड़ा 311 है। जिले में कोरोना संक्रमण पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है। जून की शुरुआत से ही लगातार नए संक्रमितों की संख्या में कमी आई, वहीं स्वस्थ होने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। जून के 30 दिनों में 181 नए संक्रमित सामने आए, वहीं 878 मरीजों को स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज किया गया। मौत छह हुई। जिला महामारी नियंत्रक डा. गौरव बोरीवाल ने बताया कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। कोरोना से बचाव के लिए नियमों का पालन और टीकाकरण जरूरी है। टीकाकरण के बाद भी मास्क लगाना और शारीरिक दूरी का पालन करने से ही कोरोना से बचा जा सकता है।

'खाद्यान्न वितरण में कोताही बर्दाश्त नहीं'

बैठक ● मुख्यमंत्री ने गरीब कल्याण के लिए गठित मंत्री समूह की बैठक में दिए निर्देश

भोपाल (नईदुनिया स्टेट ब्यूरो)। खाद्यान्न वितरण में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गरीबों के हक के राशन की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कोई भी पात्र व्यक्ति खाद्यान्न वितरण योजना से वंचित न रहे। जिनके भी नाम सूची से कटे हैं, उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए। उचित मूल्य की दुकानों की निगरानी आपदा प्रबंधन समूहों से कराई जाए। कलेक्टर और एसडीएम गरीबों को बांटने वाले राशन पर नजर रखें। यह निर्देश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के रोडमैप के अंतर्गत गरीब कल्याण के लिए गठित मंत्री समूह की बैठक में बुधवार को दिए। बैठक में समूह के सदस्यों के साथ मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कहा कि मध्य प्रदेश को लोक कल्याणकारी राज्य के मॉडल के रूप में स्थापित करना है। बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा के साथ-साथ स्थायी आजीविका के लिए बहुआयामी गतिविधियां संचालित की जाएं। खाद्यान्न वितरण का काम स्व-सहायता समूहों को सौंपा जा सकता है। इस पर विचार किया जाना चाहिए। गरीबों को तत्काल लाभ देने वाली वनोपज आधारित गतिविधियों के साथ बकरी पालन, मुर्गी पालन जैसी योजनाएं बड़े पैमाने पर चलाई जाएं। मंत्री सहित सभी जनप्रतिनिधि योजनाओं के हितग्राहियों से जीवंत संवाद रखें। इससे योजनाओं को लेकर फीडबैक मिलेगा और उन्हें प्रभावी भी बनाया जा सकेगा। प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली व्यवस्था से घरेलू कामकाजी कर्मी, ट्रांसजेंडर, मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना में शामिल परिवारों को जोड़ा गया है। बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर 24 हजार 500 दुकानों से राशन दिया जा रहा है। वन नेशन-वन राशन योजना के तहत चार लाख परिवारों को पोर्टेबिलिटी के माध्यम से राशन मिल रहा है।

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (बायें) के समक्ष बुधवार को मंत्रालय में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोडमैप के अंतर्गत गरीब कल्याण के लिए गठित मंत्री समूह ने प्रस्तुतिकरण दिया। ● जनसंपर्क विभाग

महिला स्व-सहायता समूह करेंगे सड़कों का संधारण: बैठक में बताया गया कि जनजाति बाहुल्य 15 जिलों में सड़कों का संधारण महिला स्व-सहायता समूहों को सौंपने पर भी विचार किया जा रहा है। बैठक में कृषि एवं किसान कल्याण, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण, मछुआ कल्याण, कुटीर एवं ग्रामोद्योग, पशुपालन, श्रम, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, वन विभाग, महिला एवं बाल विकास, स्कूल शिक्षा तथा उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित गरीब कल्याण से संबंधित योजनाओं पर विचार-विमर्श हुआ।

316 करोड़ रुपये का ब्याजमुक्त ऋण देंगे

बैठक में बताया गया कि प्रदेश में तीन लाख 16 हजार एवं विकेताओं को 316 करोड़ रुपये का ब्याजमुक्त ऋण दिया गया है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के तहत पांच हजार 416 स्व-सहायता समूहों का गठन कर 54 हजार 160 परिवारों को समूहों से जोड़ा गया है। दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का विस्तार 407 शहरों तक हो चुका है।

नईदुनिया/ 01/07/2021

गंदगी करने व अमानक प्लास्टिक का भण्डारण करने पर 6 व्यक्तियों पर जुर्माना

प्रतिदिन न्यूज • रतलाम

गंदगी करने वालों की सूचना स्पॉट फाईन दल को दें

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते हैं, उन पर लगाम लगाने हेतु स्पॉट फाईन दल द्वारा संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है, जिसके तहत 29 जून को 6 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया।

निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार इण्डस्ट्रीय एरिया में विपिन पितलिया द्वारा अमानक प्लास्टिक का भण्डारण करने पर 5000, अमृत सागर क्षेत्र में गंदगी करने पर राकेश-रमेश पर 1000, राजेश सोनी व कैलाश टांक पर 5000 तथा शांतिलाल व लियाकत अली पर 250-250 रूपए का स्पॉट फाईन स्वास्थ्य अधिकारी ए.पी. सिंह, झोन प्रभारी किरण चौहान, विराट मेहरा द्वारा कर भविष्य में गंदगी ना करने की समझाईश दी।

प्रसारण 01/07/2021

जोन और वार्ड प्रभारी सहित 5 को नोटिस

रतलाम | सफाई में कोताही बरतने बुधवार को आयुक्त सोमनाथ झारिया ने स्वास्थ्य विभाग के 6 कर्मियों पर कार्रवाई की। लापरवाही तब सामने आई जब आयुक्त निरीक्षण पर निकले। वार्ड 8, 9, 10, 11, 12 में कुछ कर्मचारियों के अनुपस्थित मिलने पर स्वास्थ्य अधिकारी एपी सिंह की वेतनवृद्धि रोक दी गई। वहीं जोन प्रभारी विनय चौहान, वार्ड 8 व 9 की दरोगा मोनिका चौहान, वार्ड 11 के दरोगा तरुण राठौड़ का बुधवार का वेतन काटने के साथ परिवीक्षा अवधि 6 माह बढ़ाए जाने को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

दै. भास्कर 01/07/2021

6 व्यक्तियों पर जुर्माना

रतलाम ● नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते हैं उन पर लगाम लगाने के लिए स्पॉट फाइन दल द्वारा संबंधितों पर स्पॉट फाइन की कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत 6 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया। निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार इंडस्ट्रीय एरिया में विपिन पितलिया द्वारा अमानक प्लास्टिक का भंडारण करने पर 5000, अमृत सागर क्षेत्र में गंदगी करने पर राकेश-रमेश पर 1000, राजेश सोनी व कैलाश टांक पर 5000 तथा शांतिलाल व लियाकत अली पर 250-250 रुपए का स्पॉट फाइन स्वास्थ्य अधिकारी एपी सिंह, झोन प्रभारी किरण चौहान, विराट मेहरा द्वारा कर भविष्य में गंदगी ना करने की समझाईश दी।

जिला जनसंपर्क कार्यालय की रद्दी नीलामी 7 को

रतलाम। जिला जनसम्पर्क कार्यालय रतलाम के पुराने समाचार पत्रों की रद्दी की नीलामी आगामी 7 जुलाई को दोपहर 3 बजे की जाएगी। नीलामी में शामिल होकर रद्दी क्रय करने के इच्छुक व्यक्ति, फर्म के मालिक 7 जुलाई को दोपहर 2 बजे तक कार्य दिवस में अपनी दरें जिला जनसम्पर्क कार्यालय अजंता टाकिज रोड, रोटरी हाल के ऊपर बंद लिफाफे में प्रस्तुत कर सकते हैं। प्राप्त दरों के लिफाफे इसी दिन दोपहर 3 बजे खोले जाएंगे। आवेदक को अपने आवेदन के साथ 1 हजार रुपए की अर्नेस्टमनी के जमा करानी होगी। रद्दी नीलामी शर्तें एवं नियम सम्बन्धी विस्तृत जानकारी जिला जनसम्पर्क कार्यालय रतलाम में कार्यालयीन दिवसों एवं कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है।

गैंग सफाई संरक्षक हितेष पैमाल सेवा से बर्खास्त

रतलाम। वार्ड क्रमांक 1 के गैंग सफाई संरक्षक हितेश पैमाल को जारी कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर संतोषप्रद नहीं पाए जाने पर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया द्वारा हितेश पैमाल को सेवा से बर्खास्त किया।

गैंग सफाई संरक्षक हितेश पैमाल द्वारा राजनैतिक धरना, प्रदर्शन में भाग लिए जाने का समाचार विभिन्न समाचार-पत्रों में प्रकाशित होने पर नगर निगम द्वारा हितेश पैमाल को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में प्रस्तुत उत्तर संतोषप्रद नहीं पाए जाने पर निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा हितेश पैमाल को सेवा से बर्खास्त किया गया।

प्रसारण 01/07/2021

कलेक्टर ने रुकवाया काम **प्रशासन ने मार्च माह में अतिक्रमण से मुक्त कराई थी जमीन**

अमृत सागर के पास शासकीय जमीन पर कब्जा लेने की तैयारी

रतलाम (नईदुनिया प्रतिनिधि)। अमृत सागर आवास योजना में पूर्व में हुए आवंटन को लेकर अमृत सागर तालाब के सामने शासकीय जमीन पर भूखंड का कब्जा लेने के लिए बुधवार को कुछ लोग मौके पर पहुंचे और नपती शुरू कर पोल गाड़ने की तैयारी कर दी। सूचना मिलने पर कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने एसडीएम शहर अभिषेक गेहलोत को कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद मौके पर काम रुकवा दिया गया।

मालूम हो कि शहर कस्बा सर्वे क्रमांक 700 व 701 की 0.830 भूमि शासन रिकार्ड में नजूल के नाम पर है। इस भूमि पर कई वर्षों से फलाहारी बाबा का एक आश्रम, मंदिर व कुछ अन्य निर्माण था जबकि पास में एक सर्विस सेंटर, मजार व कुछ कच्चे मकान भी थे। इस जमीन को लेकर कई बार विवाद भी हुए। जमीन सरकारी होने की बात सामने आने पर 17 मार्च को प्रशासन ने कब्जा हटाकर जमीन नगर निगम को सौंपी थी।

बुधवार को इस जमीन के एक हिस्से में अमृत सागर आवासीय योजना में वर्ष 1994 में तत्कालीन नगर सुधार न्यास द्वारा भूखंड आवंटित होने का हवाला देकर कुछ लोग मौके पर पहुंचे और नपती कर पोल लगाने की तैयारी कर ली। कलेक्टर के निर्देश के बाद मौके पर पहुंचे राजस्व अमले ने काम रुकवा दिया। एसडीएम अभिषेक गेहलोत ने बताया कि नगर निगम को लोक प्रयोजन के लिए यह जमीन सौंपी गई है। भूखंड आवंटन की बात सामने आने पर संबंधितों को दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा है।

अमृत सागर के पास की शासकीय भूमि, जहां नपती कर पोल गाड़े जाने की तैयारी थी। ● नईदुनिया

नईदुनिया 01/07/2021

जिले में आज 37 हजार लोगों का कोविड वैक्सीनेशन किया जाएगा

प्रतारण न्यूज • रतलाम

जिले में गुरूवार 1 जुलाई को कोविड वैक्सीनेशन महा अभियान के दौरान 37 हजार लोगों का कोविड वैक्सीनेशन किया जाएगा। इस दौरान रतलाम शहर के लगभग हरेक वार्ड में वैक्सीनेशन व्यवस्था की गई है।

कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने बताया कि रतलाम शहर में रामकला सभागृह लक्ष्मणपुरा, मार्निंग स्टार स्कूल इन्द्रा नगर, गुरू रामदास पब्लिक स्कूल विनोबा नगर, संत नामदेव पब्लिक स्कूल विनोबा नगर, बोधि इंटरनेशनल स्कूल डोंगरे नगर, श्री साई अकादमी अस्सी फीट रोड, सिद्धेश्वर वाटिका सिखवाल नगर, आईएमए हॉल राजेन्द्र नगर, उत्कृष्ट विद्यालय सागोद रोड, शांति निकेतन टाटा नगर, सरस्वती स्कूल अमृत सागर, मानस भवन मोती नगर, ज्योति कान्वेंट स्कूल बालाजी नगर, सब्जी फरोश जमातखाना, सगरवंशी माली समाज धर्मशाला मालीकुआं, जमातखाना शेरानीपुरा, मांगलिक भवन दिलीप नगर, कम्युनिटी हॉल मिडटाउन प्रताप नगर, काजीखाना मस्जिद जावरा रोड, लायंस हॉल पावर हाउस रोड, रंगोली मेरिज हॉल गीता मंदिर रोड, कालिका माता सभागृह कालिका मंदिर, माहेश्वरी भवन कसेरा बाजार, महाकाल धर्मशाला खान बावडी, मदरसा तालिमुन कुरान हाट रोड, सूरज हॉल वेद व्यास कॉलोनी, रेल्वे हास्पिटल घटला कॉलोनी, इफ्का डेयरी फार्म मऊ-नीमच रोड़ पर कोविशील्ड का टीकाकरण किया जाएगा।

नया कलेक्टोरेट मऊ-नीमच रोड केंद्र केवल शासकीय कर्मचारियों के लिए आरक्षित केन्द्र रहेगा। ऑफिसर्स क्लब डी आर एम ऑफिस दो बत्ती रोड़, कम्युनिटी हॉल अलकापुरी, जैन काश्यप सभागृह सागोद रोड़ एवं लोकेन्द्र टॉकीज के केन्द्र पर कोविशील्ड का केवल दूसरा वैक्सीन लगाया जाएगा। जिन लोगों को कोविशील्ड का पहला टीका लगवाकर 84 दिन पूर्ण हो चुके हैं, वे सभी सीधे उपस्थित होकर अपने जन्म दिनांक वाले आईडी के आधार पर सीधे वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। पुराना कलेक्टोरेट वैक्सीनेशन केन्द्र केवल सीनियर सिटीजन एवं दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित केन्द्र रहेगा। रतलाम शहर का जिला न्यायालय परिसर में विशेष आरक्षित केन्द्र के रूप में वैक्सीनेशन केंद्र रहेगा। शेष केंद्र विकासखंड एवं ग्रामीण स्तर पर रहेंगे।

01/07/2021

राहत : आज 37 हजार लोगों को लगाया जाएगा टीका

शहर में 28 सेंटर पर पहला, दूसरे डोज के लिए 4 केंद्र

भास्कर संवाददाता | रतलाम

टीकाकरण महाअभियान में गुरुवार को जिले में 37 हजार लोगों का टीकाकरण होगा। इसके रतलाम शहर में 32 केंद्र बनाए गए हैं। इनमें भी 28 सेंटर पर पहला डोज, जबकि 4 पर दूसरा डोज लगाया जाएगा। जिन लोगों को कोविशील्ड का पहला टीका लगवाए 84 दिन पूरे हो चुके हैं, वे सीधे सेंटर आकर आईडी दिखाकर वैक्सीन लगवा सकेंगे।

नए कलेक्टोरेट के केंद्र पर सिर्फ सरकार कर्मचारियों को टीका लगाया जाएगा। वहीं पुराने कलेक्टोरेट का सेंटर सीनियर सिटीजन और दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित रखा गया है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने बताया जिला न्यायालय परिसर में विशेष आरक्षित के रूप में वैक्सीनेशन केंद्र रहेगा। बाकी जिले में विकासखंड और ग्रामीण स्तर पर सेंटर बनाए गए हैं।

रतलाम शहर में यहां लगेगा कोविशील्ड का पहला टीका

रामकला सभागृह, मार्निंग स्टार स्कूल, गुरु रामदास पब्लिक स्कूल विनोबा नगर, संत नामदेव पब्लिक स्कूल विनोबा नगर, बोधि इंटरनेशनल स्कूल डोंगरे नगर, श्री साई अकादमी 80 फीट रोड, सिद्धेश्वर वाटिका सिखवाल नगर, आईएमए हॉल राजेंद्र नगर, उत्कृष्ट विद्यालय सागोद रोड, शांति निकेतन टाटा नगर, सरस्वती स्कूल अमृत सागर, मानस भवन मोती नगर, ज्योति कॉन्वेंट स्कूल बालाजी नगर, सब्जी फरोश जमातखाना, सगरवंशी माली समाज धर्मशाला महलीकुआं, जमातखाना शेखानीपुरा, मांगलिक भवन दिलीप नगर, कम्युनिटी हॉल मिडटाउन प्रताप नगर, कजीखाना मस्जिद-जावरा रोड, लायंस हॉल पावर हाउस रोड, रंगोली मेरिज हॉल गीता मंदिर रोड, कालिका माता सभागृह कालिका मंदिर, माहेश्वरी भवन कमेरा बाजार, महाकाल धर्मशाला खान बावडी, मदरसा तालिमुन कुरआन हाट रोड, सूरज हॉल वेद व्यास कॉलोनी, रेलवे हॉस्पिटल पटला कॉलोनी, इप्का डेयरी फॉर्म मऊ-नीमच रोड।

यहां लगेगा दूसरा डोज- ऑफिसर्स क्लब डीआरएम ऑफिस दो बत्ती चौराहा, अलकापुरी कम्युनिटी हाल, जैन कश्यप सभागृह सागोद रोड, लोकेंद्र टॉकीज।

दै. भास्कर 01/07/2021

कोरोना से मौत पर मुआवजे का हक

सुप्रीम आदेश ● एनडीएमए छह सप्ताह में जारी करे मुआवजे की गाइडलाइन

नई दिल्ली (ब्यूरो)। कोरोना से मरने वालों के परिजनों को मुआवजा या अनुग्रह राशि दिए जाने के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि न्यूनतम राहत की गाइडलाइन तय करना राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) का विधायी कर्तव्य है। इसमें कोरोना से मौत पर अनुग्रह राशि देना शामिल है। इस बारे में गाइडलाइन नहीं जारी करना एनडीएमए की अपने विधायी कर्तव्य निर्वहन में नाकामी है। एनडीएमए छह सप्ताह में अनुग्रह राशि देने के बारे में न्यूनतम राहत की गाइडलाइन जारी करे।

यह राशि कितनी होगी, यह फैसला कोर्ट ने एनडीएमए के विवेक पर छोड़ दिया जो उपलब्ध कोष, महामारी के दौरान इंतजाम और राहत की प्राथमिकताओं को देखते हुए तय होगी। साथ ही कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया सरल की जाए और उसमें स्पष्ट तौर पर कारण कोरोना से मौत दर्ज किया जाए। इतना ही नहीं, जारी मृत्यु प्रमाण पत्र में सुधार की व्यवस्था के भी निर्देश दिए।

ये निर्देश जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने कोरोना से मौत पर परिजनों को मुआवजा देने की मांग वाली याचिकाओं का निपटारा करते हुए दिए। वकील दीपक कंसल और गौरव कुमार बंसल ने याचिका दाखिल कर आपदा प्रबंधन कानून (डीएमए), 2005 की धारा-12 का हवाला देकर कहा था कि कोरोना को महामारी घोषित किया गया है इसलिए मौत पर चार-चार लाख रुपये मुआवजा देना सरकार की जिम्मेदारी है।

- न्यूनतम राहत तय करना एनडीएमए का वैधानिक दायित्व, इसमें मौत पर अनुग्रह राशि देना शामिल
- ऐसा न करके एनडीएमए अपने विधायी कर्तव्य के निर्वहन में नाकाम रहा
- मुआवजा राशि तय करने का फैसला एनडीएमए के विवेक पर छोड़ा
- मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया भी सरल बनाने का दिया आदेश
- मृत्यु प्रमाणपत्र में स्पष्ट दर्ज किया जाएगा कि मौत कोरोना से हुई

हजारों परिवारों को मिलेगी आदेश से राहत

शीर्ष अदालत के इस आदेश से उन परिवारों को कुछ राहत मिलेगी जिन्होंने कोरोना महामारी में अपनों को खोया है और आर्थिक संकट में फंस गए हैं। सरकार द्वारा कोर्ट को दी गई जानकारी के मुताबिक, अभी तक देश में कोरोना से 3,85,000 मौतें हो चुकी हैं और यह संख्या बढ़ सकती है। इनमें अमीर-गरीब हर वर्ग का व्यक्ति शामिल है।

प्रदेश में सिनेमाघर फिलहाल बंद ही रहेंगे

भोपाल (नईदुनिया स्टेट ब्यूरो)। एक जुलाई से कोरोना कर्फ्यू के प्रतिबंधों में और राहत या ढील नहीं मिलेगी। सिनेमाघर, कोचिंग संस्थान खोलने सहित अन्य लागू प्रतिबंधों को एक सप्ताह और बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया है। सात जुलाई को नई गाइडलाइन जारी की जा सकती है।

अपर मुख्य सचिव गृह डा. राजेश राजौरा ने बताया कि कोरोना संक्रमण में कमी को देखते हुए कोरोना कर्फ्यू के प्रतिबंधों में जो राहत दी गई थी, वो सात जुलाई तक बरकरार रहेगी। इस दौरान अनलाक को लेकर गठित मंत्री समूह की अनुशंसाओं

पर शासन द्वारा विचार करके अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इसमें सिनेमाघर, कोचिंग संस्थान खोलने की अनुमति देना शामिल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने टीकाकरण की गति को देखते हुए संकेत दिए थे कि आगामी दिनों में प्रतिबंधों से कुछ और राहत दी जा सकती है। वैसे भी अधिकांश जिलों में कोरोना संक्रमण पूरी से नियंत्रण में आ चुका है।

नईदुनिया 01/07/2021

नेशनल लोक अदालत का आयोजन 10 जुलाई को

रतलाम। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली (नालसा) एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार 10 जुलाई शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन देश/प्रदेश के साथ ही जिला न्यायालय रतलाम एवं तहसील न्यायालय जावरा, सैलाना, आलोट में किया जाएगा।

नेशनल लोक अदालत के आयोजन हेतु जिला एवं सत्र न्यायाधीश उमेश कुमार गुप्ता के निर्देशानुसार न्यायाधीशगणों, बीमा कंपनी एवं बीमा कंपनी के अधिवक्तागणों की बैठक का आयोजन 30 जून को किया गया, जिसमें न्यायालयों में लंबित समझौता योग्य प्रकरणों के अधिक से अधिक संख्या में निराकरण करने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही उक्त समझौता योग्य प्रकरणों की सूची भी भेजने हेतु आदेशित किया गया। इसके साथ ही न्यायालयों में लंबित समझौता योग्य प्रकरणों को चिन्हित कर सूचना पत्र जारी करने हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया। मोटर क्लेम प्रकरण, एन.आई. एक्ट 138 के प्रकरण, विद्युत के लंबित प्रकरण एवं अन्य न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के बारे में विस्तृत चर्चा की गई।

आमजन से अपील है कि अपने अधिवक्तागणों एवं न्यायालय के समक्ष प्रकरणों के सौहार्दपूर्ण वातावरण में निराकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करें, जिससे न्यायालय में लंबित एवं प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का अधिक से अधिक संख्या में निराकरण किया जा सके।

प्रदेश टुडे 01/7/21

नेशनल लोक अदालत का आयोजन 10 को

रतलाम राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली (नालसा) एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार 10 जुलाई शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन देश/प्रदेश के साथ ही जिला न्यायालय रतलाम एवं तहसील न्यायालय जावरा, सैलाना, आलोट में किया जावेगा। नेशनल लोक अदालत के आयोजन हेतु जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री उमेश कुमार गुप्ता के निर्देशानुसार न्यायाधीशगणों, बीमा कंपनी एवं बीमा कंपनी के अधिवक्तागणों की बैठक का आयोजन 30 जून को किया गया जिसमें न्यायालयों में लंबित समझौता योग्य प्रकरणों के अधिक से अधिक संख्या में निराकरण करने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही उक्त समझौता योग्य प्रकरणों की सूची भी भेजने हेतु आदेशित किया गया। इसके साथ ही न्यायालयों में लंबित समझौता योग्य प्रकरणों को चिन्हित कर सूचना पत्र जारी करने हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया।

नवभारत 1/7/21

10 जुलाई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन

भास्कर संवाददाता | रतलाम

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर शनिवार 10 जुलाई को जिला न्यायालय रतलाम, तहसील न्यायालय जावरा, आलोट और सैलाना में भी नेशनल लोक अदालत का आयोजन होगा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष उमेश कुमार गुप्ता ने न्यायाधीशों, बीमा कंपनी के अधिकारियों और अधिवक्ताओं की बैठक कर समझौता योग्य प्रकरणों का निराकरण करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने समझौता योग्य प्रकरणों की सूची भिजवाने और ऐसे प्रकरणों को चिह्नित कर सूचना पत्र जारी करने के निर्देश दिए।

दै. भास्कर 1/7/21

नेशनल लोक अदालत 10 जुलाई को

रतलाम। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली (नालसा) एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार 10 जुलाई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन देश/प्रदेश के साथ ही जिला न्यायालय रतलाम एवं तहसील न्यायालय जावरा, सैलाना, आलोट में किया जाएगा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश उमेश कुमार गुप्ता के निर्देशानुसार न्यायाधीशों, बीमा कंपनी एवं बीमा कंपनी के अधिवक्तागणों की बैठक का आयोजन 30 जून को किया गया। बैठक में न्यायालयों में लंबित समझौता योग्य प्रकरणों के अधिक से अधिक संख्या में निराकरण करने के लिए निर्देशित किया गया।

नई दुनिया 1/7/21

आज जिले में 37 हजार टीके लगाए जाएंगे, शहर में 30 केंद्र

कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान, दूसरी डोज के लिए भी बनाए केंद्र, कुछ विशेष आरक्षित

301996
लोगों को पहला टीका लगा

43171
लोगों को दोनों टीके लगे

11
लाख से अधिक लोगों को टीके लगना शेष

रतलाम (नईदुनिया प्रतिनिधि)। कोरोना वैक्सीनेशन अभियान में एक जुलाई को जिले में 37 हजार वैक्सीन लगाने की तैयारी की गई है। शहर के लगभग सभी वार्डों में केंद्र बनाकर व्यवस्था की गई है। जिले में 16 जनवरी से शुरू हुए टीकाकरण अभियान में अभी तक तीन लाख एक हजार 996 लोगों को पहला और 43 हजार 171 को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। कुल 11 लाख 17 हजार 893 लोगों को टीके लगना है।

कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने बताया कि रतलाम शहर में रामकला सभागृह लक्ष्मणपुरा, मार्निंग स्टार स्कूल इंद्रा नगर, गुरु रामदास पब्लिक स्कूल विनोबा नगर, संत नामदेव पब्लिक स्कूल विनोबा नगर, बोधि इंटरनेशनल स्कूल डोंगरे नगर, श्री साई अकादमी अस्सी फीट रोड, सिद्धेश्वर वाटिका सिखवाल नगर, आइएमए हाल राजेंद्र नगर, उत्कृष्ट विद्यालय सागोद रोड, शांति निकेतन टाटा नगर, सरस्वती स्कूल अमृत सागर, मानस भवन मोती नगर, ज्योति कान्वेंट स्कूल बालाजी नगर, सब्जी फरोश जमातखाना, सगरवंशी माली समाज धर्मशाला मालीकुआं, जमातखाना शेरानीपुरा, मांगलिक भवन दिलीप नगर, कम्युनिटी हाल मिडटाउन प्रताप नगर, काजीखाना मस्जिद धावरा रोड, लायंस हाल पावर हाउस रोड, रंगोली मेरिज हाल गीता मंदिर रोड, कालिका माता सभागृह कालिका मंदिर, माहेश्वरी भवन कसेरा बाजार, महाकाल धर्मशाला खान बावड़ी, मदरसा तालिमुन कुरान हाट रोड, सूरज हाल वेद व्यास कालोनी, रेलवे हास्पिटल घटला

कालोनी, इक्का डेयरी फार्म महू-नीमच रोड पर कोविशील्ड का टीकाकरण किया जाएगा।

ये केंद्र विशेष आरक्षित : नया कलेक्टोरेट केंद्र केवल शासकीय कर्मचारियों के लिए आरक्षित रहेगा। आफिसर्स क्लब डीआरएम आफिस दो बत्ती रोड, कम्युनिटी हाल अलकापुरी, जैन काश्यप सभागृह सागोद रोड एवं लोकेंद्र टाकीज के केंद्र पर कोविशील्ड का दूसरा डोज लगाया जाएगा। जिला न्यायालय परिसर विशेष आरक्षित केंद्र रहेगा। 60 वर्ष से अधिक के व्यक्ति एवं दिव्यांग के लिए पुराने कलेक्टोरेट में पहले डोज की व्यवस्था विशेष रूप से की गई है।

बुकिंग कराने वालों को भी सुबह 10 बजे आना होगा: एसडीएम रतलाम शहर अभिषेक गहलोत ने बताया कि वैक्सीनेशन के लिए आन लाइन बुकिंग आवश्यक नहीं है। बगैर बुकिंग के भी टीका लगेगा। जिन लोगों ने एक जुलाई के वैक्सीनेशन के लिए स्लाट बुकिंग करवाई है, उन्हें भी सेंटर पर प्रातः 10 बजे पहुंचना होगा, अन्यथा उनकी बुकिंग कैंसल मानी जाएगी।

आलोट में पांच हजार टीके का लक्ष्य: कोरोना संक्रमण रोकने के लिए वैक्सीन ही प्रभावी है। इसके लिए लोगों में भी जागरूकता बढ़ी है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार एक जुलाई को विकासखंड के 20 केंद्रों पर 5000 लोगों को टीके लगाने का लक्ष्य है। इसमें आलोट नगर में छह केंद्र, ताल नगर में पांच केंद्र और ग्रामीण क्षेत्रों के नौ केंद्रों पर टीकाकरण होगा।

नामली के सात केंद्रों पर लगेंगे दो हजार टीके

नामली। नगर में गुरुवार को टीकाकरण को लेकर सात केंद्र बनाए गए है। इन सभी केंद्रों पर हो कर दो हजार लोगों को टीके लगाने का लक्ष्य रखा गया है। शासकीय बालक छात्रावास स्थित केंद्र पर तीन सौ, शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय स्थित केंद्र पर तीन सौ, शासकीय कन्या हाईस्कूल स्थित केंद्र पर तीन सौ, शासकीय बालक प्राथमिक विद्यालय स्थित केंद्र पर तीन सौ, नवीन बस स्टैंड स्थित केंद्र क्रमांक एक पर तीन सौ, नवीन बस स्टैंड स्थित केंद्र क्रमांक-दो पर तीन सौ, नीलू सौ केयर हाउस बाराह पत्थर मगरा स्थित केंद्र पर दो सौ लोगों को टीके लगाए जाएंगे।

सैलाना के हर वार्डों में होगा वैक्सीनेशन

सैलाना। गुरुवार को नगर में वार्डों के हिसाब से वैक्सीनेशन किया जाएगा। इसकी मुनादी नगर परिषद द्वारा बुधवार को कराई गई। सीएमओ जेपी गुप्ता ने बताया कि गुरुवार को नगर के पिपलौदा रोड स्थित मांगलिक भवन जूनावास वार्ड क्रमांक-एक, कुमावत धर्मशाला वार्ड क्रमांक-दो, वार्ड क्रमांक-तीन, जैन धर्मशाला वार्ड क्रमांक-चार, पांच, छह, सनाढ्य धर्मशाला रंगवाड़ी मोहल्ला वार्ड क्रमांक-सात, आठ, बालक हायर सेकंडरी स्कूल वार्ड क्रमांक-नौ, मुस्लिम जमात खाना वार्ड क्रमांक-10, जवाहर प्राथमिक शाला बस स्टैंड वार्ड क्रमांक-11, 12, कसेरा धर्मशाला दिलीप मार्ग वार्ड क्रमांक-13, 14 और 15 के रहवासियों को सुबह आठ से दोपहर बारह बजे तक पहला टीका लगाया जाएगा। द्वितीय डोज लगवाने का समय दोपहर 12 से चार बजे तक रहेगा। वैक्सीनेशन करवाने वालों को अपने वार्ड के निर्धारित सेंटरों पर टोकन के आधार पर टीकाकरण किया जाएगा।

नईदुनिया 01/07/2021

सिंधिया के प्रभाव वाले जिलों का प्रभार उनके खेमे के मंत्रियों को ही

भदौरिया होंगे रतलाम के प्रभारी मंत्री, देवड़ा को उज्जैन का जिम्मा

भास्कर न्यूज | भोपाल

तबादलों पर से प्रतिबंध हटने के ठीक एक दिन पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों को जिलों का प्रभार सौंप दिया। अब तबादलों से जुड़े आवेदनों पर तमाम प्रभारी मंत्री गुरुवार से निर्णय की प्रक्रिया शुरू करेंगे। हालांकि जिलों का प्रभार बंटने में सवा साल लग गए। सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभाव वाले जिलों का जिम्मा उनके खेमे के मंत्रियों को दिया गया है। बड़े जिलों में इंदौर का प्रभार गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा को, भोपाल का जिम्मा नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह को, जबलपुर के प्रभारी पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव बनाए गए हैं, जबकि ग्वालियर का प्रभार जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट को दिया गया है। मुख्यमंत्री बुधवार देर शाम केरवा गए और वहां से लौटते ही सूची जारी कर दी। इस सूची पर पहले ही भाजपा के प्रदेश प्रभारी पी. मुरलीधर राव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन महामंत्री से चर्चा हो चुकी थी।

किस मंत्री को किस जिले का प्रभार

मंत्री	प्रभार वाले जिला
भूपेंद्र सिंह	भोपाल
नरोत्तम मिश्रा	इंदौर
ओपीएस भदौरिया	रतलाम
उषा ठाकुर	नीमच, खंडवा
राज्यवर्धन दत्तीगांव	मंदसौर, अलीराजपुर
गोपाल भार्गव	जबलपुर, निवाड़ी
तुलसी सिलावट	ग्वालियर, हरदा
विजय शाह	सतना, नरसिंहपुर
जगदीश देवड़ा	उज्जैन, कटनी
यशोधरा राजे सिंधिया	देवास, आगरमालवा
मीना सिंह	सीधी, अनूपपुर
कमल पटेल	खरगोन, छिंदवाड़ा
बृजेंद्र प्रताप सिंह	होशंगाबाद, सिंगरौली
विश्वास सारंग	टीकमगढ़, विदिशा
प्रभुराम चौधरी	धार, सीहोर

दै. भास्कर 01/07/2021

कोरोना से हुई मौतों पर देना ही होगा मुआवजा

केंद्र ने झाड़ा पल्ला तो सुप्रीम कोर्ट ने दिलाई एनडीएमए एक्ट की एक धारा की याद

नई दिल्ली, 30 जून. सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 महामारी से जान गंवाने वाले के परिजनों को मुआवजा देने का रास्ता साफ कर दिया है. उसने आज एक अहम आदेश में कहा कि मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपये का ही मुआवजा मिले यह जरूरी नहीं है, लेकिन उन्हें मुआवजा जरूर देना होगा क्योंकि यह सरकार का संवैधानिक दायित्व है.

धारा-12 की भावना पर दिया स्पष्टीकरण

जस्टिस अशोक भूषण की अगुवाई वाली बेंच ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ऐक्ट की धारा-12 का जिक्र करते हुए कहा कि आपदा में मृत्यु पर मुआवजा दिए जाने का प्रावधान किया गया है जिसे पूरा करना सरकार का दायित्व है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा-12 के तहत एनडीएमए की विधायी जिम्मेदारी है कि वह गाइडलाइंस तैयार करे और राष्ट्रीय आपदा की स्थिति में पीड़ितों के लिए न्यूनतम मुआवजा राशि के लिए सिफारिश करे. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि धारा-12 में शैल शब्द का इस्तेमाल किया गया है और इसका मतलब अनिवार्य है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के लिए ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया कि वह अमुक मुआवजा राशि का भुगतान करे. सुप्रीम कोर्ट ने एनडीएमए से कहा है कि वह छह हफ्ते में कोविड से मौत के मामले में पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए गाइडलाइंस बनाए और न्यूनतम मुआवजा राशि के भुगतान की सिफारिश करे.

सरकार की दलील खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनडीएमए अपनी गाइडलाइंस में कोविड से मौत के मामले में न्यूनतम मुआवजा राशि देने की सिफारिश करे, ध्यान रहे कि कोविड से मौत के मामले में मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपये मुआवजा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस दलील को खारिज कर दिया जिसमें केंद्र ने कहा था कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा-12 का प्रावधान अनिवार्य नहीं है.

कितनी रकम हो एनडीएमए तय करे

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि हम नैशनल अथॉरिटी पर छोड़ते हैं कि वह उचित रकम मुआवजे के लिए तय करे. सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश में ये भी कहा है कि कोविड से मौत के मामले में डेथ सर्टिफिकेट जारी करने के दौरान उसमें तारीख और मौत का कारण कोविड लिखा जाना चाहिए.

नवभारत 01/07/2021

कार्रवाई के नाम पर नगर निगम के हाथ खाली

नोटिस देकर भूल गया निगम, शहर में बन गए मनमाने भवन

एक्सक्लूसिव

शहर में तीन वर्ष में अतिक्रमण करने वालों को 500 से अधिक नोटिस

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

रतलाम. शहर में नगर निगम के लोक निर्माण विभाग का काम विकास से जुड़े काम करने के साथ साथ निजी निर्माण के दौरान अतिक्रमण नहीं हो व कायदे नहीं टूटे यह देखना भी है। इस विभाग के उपयंत्री, सब इंजीनियर सहित पूरा अमला तीन वर्षों में करीब 500 से अधिक नोटिस तो जारी कर चुका है, लेकिन जब बारी कार्रवाई करने की आती है तो विभाग के हाथ पैर फूलने लगते है। तीन वर्षों में निगम के इस विभाग ने एक भी बड़ी कार्रवाई की उपलब्धी अपने नाम नहीं की है। ऐसे में निगम के अधिकारी नोटिस देते रहे व अवैध निर्माण करने वाले बिल्डिंग तानते रहे है।

लोक निर्माण विभाग में उपयंत्रियों को वार्ड की जवाबदेही दी हुई है। इनका काम टाइम कीपर के साथ वार्डों में हो रहे निर्माण की रिपोर्ट प्रतिदिन अपने अधिकारी को देना होता है। निगम में शहर के 49 वार्डों केलिए करीब 25 टाइम कीपर है। यह शहर में घूमते तो है, लेकिन इनकी दी हुई सूचना पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं विभाग ने नहीं की। स्वच्छता विभाग के वार्ड दारोगाओं को भी सूचना के लिए अधिकृत किया लेकिन दारोगा की सूचना के बाद कार्रवाई नहीं हुई तो सूचना देना बंद कर दिया।

पहली प्राथमिकता कोरोना व स्वच्छता

कोरोना वायरस के दौरान नगर निगम की पहली प्राथमिकता इसमे सहयोग करने की थी। इसके अलावा नियमित रुप से स्वच्छता अभियान भी जारी है। अतिक्रमण हटाने के लिए सतत कार्रवाई की जाती है, जो कोरोना के कारण नहीं हो पाई। जल्दी ही अभियान चलाया जाएगा। - **सोमनाथ झारिया,** आयुक्त नगर निगम

केस एक- शहर के वार्ड नंबर 42 के रहवासी अतिम कुमार सुराना ने 23 अप्रेल 2019 को उनके निवास के निकट बन रहे एक मंजूरी से अधिक के निर्माण की शिकायत की। निगम के लोकनिर्माण विभाग ने दो बार धारा 302 में नोटिस जारी किया। जब जवाब संतुष्ट करने वाला नहीं लगा तो धारा 307 में नोटिस दिया।

यह है नियम- निगम के नियम अनुसार अवैध निर्माण, बगैर मंजूरी के निर्माण, दी गई मंजूर से अधिक निर्माण पाया जाता है तो पहले धारा 302 में नोटिस दिया जाता है। इसके बाद भी अगर निर्माणकर्ता नहीं माने तो धारा 307 में 24 घंटे का नोटिस दिया जाता है।

केस दो- शहर के ईश्वरनगर में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत बन रहे एक दो मंजीला भवन के बारे में क्षेत्रीय रहवासियों ने विभाग को शिकायत की। मोका देखने विभाग के उपयंत्री मनीष तिवारी गए। रहवासियों के अनुसार तिवारी की निर्माणकर्ता से चर्चा हुई इसके बाद इस शिकायत को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया।

पत्रिका 01/07/2021